उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104-महात्मा गाँधी मार्ग लखनऊ की दिनांक 28.6.1989 को हुई चतुर्थ बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 28.6.1989 की बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे:-

(1)	श्रीमान गुरुशरण भादुड़ी		अध्यक्ष
(2)	श्री नरिन्दर सिंह	आवास आयुक्त	सदस्य
(3)	श्री महेन्द्र प्रताप सिंह		सदस्य
(4)	श्री रतीराम भाटी		सदस्य
(5)	श्री ओमकार सरन मेहरोत्रा		सदस्य
(6)	श्री हरमिन्दर राज सिंह	विशेष सचिव (वित्त) (वित्त सचिव के प्रतिनिधि)	सदस्य
(7)	श्री एन0आर0वर्मा	(मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के प्रतिनिधि)	सदस्य
(8)	श्री आर0एम0शी	महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो	सदस्य
(9)	श्री नरेन्द्र कुलश्रेष्ठ(?)	साइन्टिस्ट कोआर्डिनेटर (निदेशक, सी0बी0आर0आई0 के प्रतिनिधि)	सदस्य

दिनांक 28.6.1989 को परिषद की बैठक में विचार विमर्श के पश्चात् निम्न मदों पर निर्णय लिये गये:-

1.	2.	3.	4.
1-	दि0 25.5.89 को हुई बैठक की कार्यवृत्त की पुष्टि।	चतुर्थ/(1)/89	दि0 25.5.89 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
2-	दि0 25.5.89 को हुई बैठक की अनुपालन आख्या	चतुर्थ/(2)/89	दि0 25.5.89 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन से परिषद को अवगत करायी गया।
3-	वित्तीय वर्ष-1989-90 के प्र प्रस्तावित आय-व्यय की स्वीकृति।	चतुर्थ/(3)/89	वित्तीय वर्ष-1989-90 के प्रस्तावित आय-व्यय की स्वीकृति की गयी तथा निम्न सुझाव दिये गये:- 1-बजट को रेवेन्यू एकाउन्ट तथा कैपिटल एकाउन्ट के अनुसार तैयार करके अगली बैठक में टिप्पणी प्रस्तुत किया जाए। 2-परिषद द्वारा जो मूल्यांकन नीति तैयार की गयी उसका भी अध्ययन किया जाए। इसके लिए निम्न सदस्य की एक समिति का गठन किया गया। 1-श्री हरमिन्दर राज सिंह, विशेष सचिव वित्त 2-श्री ओमकार सरन मेहरोत्रा, सदस्य आवास परिषद 3-श्री एस0के0 रघुवंशी, उप आवास आयुक्त 4-श्री ओम नारायन, मुख्य वित्त लेखाधिकारी। 5-श्री अशोक कुमार, विधि परामर्शदाता

1.	2.	3.	4.
			उपरोक्त समिति अपनी रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करेगी। परिषद द्वारा वर्ष 1989-90 में शासन से 50 करोड़ का ऋण तथा अनुदान मिलने का प्रस्ताव किया गया है। चूंकि इतनी धनराशि शासन से मिलने की सम्भावना कम है, इसलिए उचित होगा कि परिषद बैंकों, हडको से और ऋण प्राप्त करके तथा अपनी सम्पत्तियों से देय धनराशि की वसूली करके अधिक से अधिक रुपये वसूली करने का प्रयास करें । 4- प्रशासनिक व्यय में जहां तक संभव हो अधिक से अधिक कटौती की जाए। 5- विविध व्यय में भी अधिक से अधिक कटौती करने का प्रयास किया जाए। 6- जन समस्याओं एवं शिकायतों का करने हेतु एक पब्लिक ग्रीवान्सेज तथा सेल स्थापित करने हेतु प्रस्ताव अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाए।
4-	परिषद अधिकारियों/ कर्मचारियों को भवन के निर्माण/ क्रय एवं मरम्मत विस्तार के लिए भवन अग्रिम की सीमा शासनादेशानुसार स्वीकृति हेतु ।	चतुर्थ/14/89	श्री एक्सी द्वारा सूचित किया कि इस बारे में व्यापक निर्देश दिये गये हैं इसलिए निर्णय लिया गया कि इस प्रस्ताव को अभी स्थगित कर दिया जाए। इस बारे में जो शासन द्वारा निर्देश आदि जारी किये गये हैं उनका अध्ययन करने के बाद ही परिषद में रखा जाए ।
5-	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद के लेखा मैनुअल का अनुमोदन ।	चतुर्थ/15/89	लेखा प्रणाली का अनुमोदन किया गया तथा यह राय व्यक्त की गयी कि यदि इसके लिए शासन से अनुमति लेना अनिवार्य हो तो शासन को पत्र लिखा जाए।
6-	परिषद कर्मचारी के आकस्मिक निधन पर उनके आश्रितों को प्रतिकर्ति आधार पर (कम्पैशनेट ग्राउन्ड) पर रोजगार देने के संबंध में ।	चतुर्थ/16/89	सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि शासन द्वारा जो नियम बनाये गये हैं उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाए।
7-	परिषद द्वारा नकद पर आवंटित सम्पत्तियों के विरुद्ध देय धनराशि को विलम्ब से जमा करने पर देय दण्ड ब्याज की माफी के संबंध में ।	चतुर्थ/17/89	विचार विमर्श के पश्चात इस प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया।
8-	परिषद योजनाओं में भूमि अर्जन हेतु ऋण प्राप्त करने के संबंध में।	चतुर्थ/8/89	विचार विमर्श के पश्चात् इस प्रस्ताव को अनुमोदन किया गया
9-	हडको वित्त पोषित 2 योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु हडको द्वारा निर्धारित शर्तों पर ऋण प्राप्त करने के संबंध में ।	चतुर्थ/19/89	विचार विमर्श के पश्चात इस प्रस्ताव को अनुमोदन किया गया ।
10-	हडको वित्त पोषित-2 योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु हडको द्वारा निर्धारित शर्तों पर ऋण प्राप्त करने के संबंध में ।	चतुर्थ/10/89	विचार-विमर्श के पश्चात् इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

11- हडको वित्त पोषित-3 योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु हडको द्वारा निर्धारित शर्तों पर ऋण प्राप्त करने के संबंध में।	चतुर्थ/111/89	विचार-विमर्श के पश्चात इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
12- हडको पोषित-6 योजनाओं में प्रति-भूति के रूप में निगोशियेबिल उपलब्ध कराने के संबंध में।	चतुर्थ/112/89	विचार विमर्श के पश्चात इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
13- इन्दिरानगर योजना, लखनऊ के सेक्टर-4 में प्रस्तावित इन्दिरा प्लेस कामर्शियल काम्प्लेक्स के प्रथम, द्वितीय तृतीय एवं टैरेस फ्लोर के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।	चतुर्थ/113/89	विचार विमर्श के पश्चात इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
14- मझोला भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-4 (भाग-1) मुरादाबाद में समाविष्ट श्री जगन्नाथ कपूर आदि की भूमि को अर्जन मुक्त करने के संबंध में।	चतुर्थ/114/89	विचार-विमर्श करके यह निर्णय लिया गया कि श्री कपूर की एक एकड़ भूमि और छोड़दी जाए परन्तु यह प्रतिबंध होगा कि श्री कपूर को इसके लिए विकास शुल्क देना होगा तथा जो भूमि छोड़ी जाएगी उस पर वह दुकानें आदि का निर्माण नहीं करेंगे तथा न्यायालय से वाद वापस लेने के उपरान्त ही भूमि छोड़ने के बारे में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
15- मझोला भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-4(भाग-1) श्री राम स्ट्राबोर्ड मिल्स की भूमि को अर्जनमुक्त करने के संबंध में।	चतुर्थ/115/89 देन	परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि मेसर्स स्ट्रा बोर्ड को 2.90 2.90 एकड़ भूमि छोड़ दी जाए। इसके लिए उन्हें विकास शुल्क देना होगा तथा वह छोड़ी हुई भूमि पर दुकानों आदि का निर्माण नहीं करेंगे। जो भूमि छोड़ी जायेगी वह फैक्ट्री के पीछे ही ही होगी।
16- जनता कोल्ड स्टोरेज एवं आइस फैक्ट्री यार धार बुलन्दशहर की भूमि को अर्जन मुक्त करने के संबंध में।	चतुर्थ/116/89	परिषद द्वारा विचार-विमर्श के बाद श्रीशम्भु दयाल, साथ एवं श्री हरिशरन सिंह की भूमि छोड़ने पर सिद्धान्त रूप में सहमति निम्न प्रतिबंधों के साथ दीगयी:- 1-संबंधित व्यक्ति न्यायालय से अपना वाद वापस ले लें। 2-इस भूमि पर संबंधित व्यक्ति को कोई मुआवजा देय नहींहोगा तथा विकास शुल्क देना होगा। 3-इस भूमि का उपरोक्त व्यक्ति व्यवसायिक उपयोग नहीं करेंगे। उपरोक्त शर्तों के साथ आवास आयुक्त तथा अध्यक्ष जी को छोड़ी जाने वाली भूमि का सीमांकन करअन्तिम निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया।
17- आवास एवं विकास परिषद की औबरी भूमि विकास एवं गृहस्थान यो0सं0-3 में स्थित पी0एम0लाल श्रीवास्तव की भूमि खसरा नं0-509 ग्राम-औबरी के संबंध में।	चतुर्थ/117/89	इस विषय को परिषद की अगली बैठक के लिए स्थगित कर दिया गया।

18-	आवास विकास परिषद की इन्दिरानगर द्वितीय विस्तार भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना फैजाबाद मार्ग लखनऊ में स्थित ग्राम-कमता के खसरा नं0-2 को अर्जनमुक्त करने के संबंध में।	चतुर्थ/1181/89	इस विषय को परिषद की अगली बैठक के लिए स्थगित कर दिया गया।
19-	आवास परिषद की भेलुपुर योजना वाराणसी में समाविष्ट ग्राम भदैनी खसरा 2298 अर्जनमुक्त महावीर सिल्क मिल के निर्माण के साथ आवश्यक भूमि अर्जनमुक्त करने के संबंध में।	चतुर्थ/1191/89	इस विषय को परिषद की अगली बैठक के लिए स्थगित कर दिया गया।
20-	महादेव झारखण्डी योजना गोरखपुर में स्थित खसरा नं0-89/1 क्षेत्रफल 0.05 एकड़ भूमि में स्थित पक्का मकान श्रीमती रामवती पत्नी श्री भगौती महादेव झारखंडी योजना, गोरखपुर को अर्जनमुक्त करने के संबंध में।	चतुर्थ/1201/89	इस विषय को परिषद की अगली बैठक के लिए स्थगित कर दिया गया।
21-	मुख्यालय पर कम्प्यूटरों को चलाने के लिए कम्प्यूटर आपरेटर के पदों का सृजन एवं मेरठ, गाजियाबाद तथा कानपुर/वित्त नियोजक अनुभाग में कम्प्यूटर लगाये जाने के संबंध में।	चतुर्थ/1211/89	परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि फिलहाल एक कम्प्यूटर आगरा वृत्त के लिए तथा एक कानपुर/वित्त नियोजक अनुभाग तथा परिकल्पना अनुभाग के लिए क्रय कर लिया जाएँ फिलहाल कम्प्यूटर आपरेटर का एक ही पद सृजित किया गया। एक पद पर संबंधित संस्थाओं से कान्ट्रैक्ट पर ही योग्य व्यक्ति को रखा जाए।
22-	आगरा में मानसिक चिकित्सालय के के समीप सरोजनी नायडू मार्ग मेडिकल कालेज के नये भवन के निर्माण हेतु सिकन्दरा योजना आगरा में 200 एकड़ भूमि की मांग।	चतुर्थ/1221/89	विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि शासन को तथा स्वास्थ्य विभाग को यह लिखा जाए कि यदि परिषद द्वारा पहले जिन शर्तों पर भूमि छोड़ने का निर्णय लिया गया था वह 15 दिन के अन्दर शासन द्वारा स्वीकार न की गयी तो परिषद द्वारा जो भूमि छोड़े जाने का निर्णय लिया गया था वह निरस्त कर दिया जायेगा तथा परिषद उस भूमि पर अपनी योजना के अनुसार भवनों के निर्माण की योजना बना देगा।
23-	बहादुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना-1 फतेहगढ़ ग्राम-मैनपुरकला के खसरा नं0-138 की 0.48 एकड़ श्री वीरेन्द्र सिंह कटियार की भूमि के संबंध में।	चतुर्थ/1231/89	इस प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया।
24-	राजपुर रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1 देहरादून में समाविष्ट ग्राम-जाखनराजपुर रोड के खसरा सं0-284 तथा 285 की भूमि छोड़े जाने के संबंध में।	चतुर्थ/1241/89	इस प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया।
25-	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से गाजियाबाद में भूमि विकास तथा भवनों का निर्माण।	चतुर्थ/1251/89	परिषद द्वारा विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श करने के उपरान्त जो टिप्पणी प्रस्तुत की गयी थी उसका अनुमोदन किया तथा निम्न निर्णय भी लिये गये:-
26-			1-गाजियाबाद में जो 4 जोन स्थापित किये गये हैं, उनके द्वारा शीघ्रातिशीघ्र कार्य आरम्भ कर दिया जाये। जिन व्यक्तियों द्वारा पंजीकरण कराया गया है

यह सहमति ले ली जाये कि उन्हें बहुमंजिली भवनों में ही भवन उपलब्ध कराये जायेंगे। उन्हें भवनों की वर्तमान मूल्य से भी सूचित कर दिया जाये।

2–परिषद के अपने वास्तुविद नियोजकों द्वारा विस्तारपूर्वक ले-आउट तैयार किया गया है जिसके लिए जैसा कि टिप्पणी में उल्लेख किया गया है लखनऊ में उपलब्ध बाहरी विशेषज्ञों का भी योगदान ले लिया जाये ले आउट एक माह में बनाकर तैयार कर प्रेषित दिया जाये।

3– प्राइवेट बिल्डरों को भूमि आवंटन करने करने के बारे में शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही की जाये की नीति निर्धारण और परिषद का प्रस्ताव बनाया जाये ताकि पूरी धनराशि उपलब्ध होने पर कृषिकर की शेष धनराशि भुगतान करके पूरे योजना का कब्जा बिना और देरी के लिया जा सके। ले-आउट तैयार करते समय इस बात को ध्यान में रखा जाए कि जो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा ले-आउट तैयार किया गया है तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा बाहरी अन्य संस्थाओं द्वारा बहुमंजिले भवनों का दिल्ली तथा गाजियाबाद में किये जा रहे निर्माण को भी ध्यान में रखा जाये।

4– पानी का ट्रीटमेंट करके यदि उसे पीने लायक बनाया जा सकता हो तो इन सम्भावनाओं पर भी शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाये।

26– अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।

1–भविष्य में बैठक का एजेन्डा चार दिन पूर्व सदस्यों को अवश्य प्राप्त हो जाये।

2–मुरादाबाद के मामले में अगली बैठक में जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाये।

3–सम्पत्ति आवंटन के लिये अलोकप्रिय स्थलों पर विज्ञापन आदि ज्यादा अच्छी तरह कराये जायें।

अध्यक्ष